

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 एवं अधिनियम के तहत  
निर्मित छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 अंतर्गत  
रजिस्ट्रीकरण

प्ररूप "ड"  
(नियम 7(2) देखिये)

धारा 11 के अधीन विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के  
लिये आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम उसके पिता का नाम .....  
तथा पता । .....

यदि रजिस्ट्रीकृत फर्म या कम्पनी हो तो फर्म .....  
या कम्पनी का नाम उसका रजि.क्र. ....  
रजिस्ट्रीकरण का वर्ष, मुख्तारनामा धारण .....  
करने वाले व्यक्ति का नाम तथा .....  
पता .....

मुख्तारनामा की एक प्रति संलग्न की जाये .....

2. करोबार का स्थान/मुख्यालय/प्रधान कार्यालय,.....  
की स्थिति, ग्राम/नगर, तहसील, पुलिस थाना, जिला ।

3. विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के व्यापार की .....  
विशिष्टियाँ (मात्रा)

(क) प्रतिवर्ष कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त औसत मात्रा और/या गत तीन वर्षों के दौरान  
राज्य के बाहर प्रतिवर्ष निर्यात की गई विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी की औसत मात्रा  
तथा तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात की गई विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी की  
मात्रा ।

वर्ष	मात्रा
20. ....	.....
20. ....	.....
20. ....	.....

(ख) विनिर्माता की दशा में व्यापार, चिन्ह, .....  
यदि कोई हो तथा व्यापारी की दशा  
में उस स्थान का नाम या उन स्थानों  
के नाम जहां विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी  
का निर्यात किया जाता है ।

(ग) विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी की अनुमानित वार्षिक  
आवश्यकता .....

1. लकड़ी से बना वस्तुओं के निर्माण के लिये कच्चे .....  
माल के रूप में उपयोग हेतु ।

2. राज्य के बाहर निर्यात के प्रयोजन हेतु .....

(घ) उन डिपो के स्थान या स्थानों के नाम जहां  
आवेदक की विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी का स्टॉक  
भंडारित किया जाता है ।

(ड.) वह रीति, जिसमें कि उपरोक्त अभिप्राप्त किया जाता है । .....

4. आवेदक

1. विनिर्माता

2. व्यापारी

3. उपभोक्ता के रूप में कब से कार्य करता है .....

5. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम तथा पते जिनको कि आवेदन-पत्र के ब्यौरे के सत्यापन के  
लिये निर्देश किया जा सके ।

नाम, पता (1) .....

(2) .....

6. विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी की मात्रा जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है । .....

7. वर्ष जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित हैं । .....

8. क्या आवेदक पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किया गया था और यदि .....  
ऐसा है तो किस वर्ष में तथा किस खंड में और विनिर्दिष्ट  
इमारती लकड़ी की कितनी मात्रा के लिये ।

9. कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक इस साक्ष्य के रूप में देना चाहे कि वह विनिर्दिष्ट  
इमारती लकड़ी का वास्तविक विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता है । .....

10. .... रूपये रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय का साक्ष्य ।

स्थान .....

तारीख .....

आवेदक के हस्ताक्षर

## वर्तमान में पंजीयन शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) का विवरण

अनु.	पंजीयन	शुल्क
1	व्यापार / विनिर्माता	रु. 501 / -
2	फुटकर विक्रेता	रु. 101 / -
3	आयात	रु. 500 / -
4	हैमर	रु. 50 / -
5	बढई	रु. 51 / -